इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 सितम्बर 2020—भाद्र 17, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2020

सूचना

क्र. एफ-3-49-2020-अठारह-5.—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था अथवा निकाय के उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा:—

संशोधन

उक्त नियमों में:—

1. नियम 2 के उप—खण्ड (40) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(40) **"अनुज्ञप्त वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर / इंजीनियर / पर्यवेक्षक / नगर योजनाकार / अग्निशमन इंजीनियर / लिफ्ट इंजीनियर/ समूह"** से अभिप्रेत है, क्रमशः कोई अर्ह वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर / इंजीनियर / पर्यवेक्षक / नगर योजनाकार / अग्निशमन इंजीनियर / लिफ्ट इंजीनियर / समूह जो, जहां आवश्यक हो, प्राधिकारी द्वारा इस रूप में अनुज्ञप्त किया गया हो।"

2. **नियम 16 में,**

(1) **उप–नियम (8) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–**

"(एक) आवेदन पत्र के साथ सामान्य तथा विस्तृत दोनों प्रकार की विशिष्टियां, जिसमें उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का प्रकार तथा श्रेणी दी जाएगी तथा जो यथास्थिति, अनुज्ञप्त वास्तुविद्, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर, पर्यवेक्षक, नगर योजनाकार, अग्निशमन इंजीनियर या लिफ्ट इंजीनियर द्वारा यथास्थिति अनुसार सम्यक रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी।"

(2) उप–नियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(9) **पर्यवेक्षण–** आवेदन पत्र के साथ पर्यवेक्षण करने वाले, यथास्थिति, अनुज्ञप्त वास्तुविद्, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर, पर्यवेक्षक, नगर योजनाकार, अग्निशमन इंजीनियर या लिफ्ट इंजीनियर का प्रमाण पत्र **परिशिष्ट (ख)** में दिए गए प्ररूप में संलग्न होगा।"

3. नियम 26 में,

(1) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(1) प्राधिकारी, संरचना इंजीनियरों, इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों, नगर योजनाकारों, अग्निशमन इंजीनियरों तथा लिफ्ट इंजीनियरों को, जिसके पास उप–नियम (2) में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हो, **"परिशिष्ट–ग"** में दिये गये प्ररूप में अनुज्ञप्ति दे सकेगा।"

(2) उप–नियग (2) गें अनुक्रगांक 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

पदनाम	न्यूनतम अर्हता
(1)	(2)
"7. लिफ्ट इंजीनियर	मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक की स्थापना, निर्माण, परीक्षण अथवा ऑडिट से संबंधित पांच वर्ष का अनुभव धारण करता हो।"

(3) उप–नियम (9) में खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"(छ) **लिफ्ट इंजीनियर की सक्षमता –** लिफ्ट इंजीनियर, सभी प्रकार के भवनों के लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक से संबंधित सभी कार्यो को पूरा करने के लिए सक्षम होगा, जो नेशनल बिल्डिंग कोड के भाग– 8 के सेक्शन–5 के अंतर्गत आते हैं।

(ज) **समूह या अभिकरण** — जब अर्हता प्राप्त वास्तुविदों, संरचना इंजीनियरों, इंजीनियरों, नगर योजनाकारों, अग्निशमन इंजीनियर, लिफ्ट इंजीनियरों का कोई अभिकरण या समूह कार्य कर रहा हो तो अर्हता और कार्य की सक्षमता, समूह या अभिकरण में व्यक्ति की उच्चतम सक्षमता के बराबर होगी। लिफ्ट, एस्केलेटर अथवा मूविंग वॉक के निर्माणकर्ता को भी इस श्रेणी में अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।"

4. नियम 83 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"83 लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक का प्रावधानः — 12.5 मी. से अधिक उँचे भवनों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। किसी भवन में स्थापित किये जाने वाले लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक की योजना, डिजाइन, स्थापना, संचालन, रखरखाव और निरीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के भवन सेवाओं भाग– 8 के सेक्शन – 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा। भवन के प्रत्येक भवन स्वामी पर निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:—

(1) प्रत्येक भवन स्वामी को लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक की स्थापना से संबंधित विवरण **"परिशिष्ट–क–2(क)"** में भवन अनुज्ञा आवेदन के साथ संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(2) लिफ्ट्स, एस्केलेटर या मूविंग वॉक स्थापना का कार्य पूर्णता प्रतिवेदन **परिशिष्ट–ङ–3(क)** में भवन स्वामी द्वारा नियम 102 के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय प्रस्तुत किया जाएगा। समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक इकाई का विशिष्ट पंजीकरण क्रमांक प्रदाय किया जाएगा।

(3) नियम में इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व ऐसे स्थल जिनमें लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक स्थापित किया गया हो, प्रत्येक भवन स्वामी को इसके लागू होने की दिनांक से छह महीने के अंदर संबंधित प्राधिकारी को **परिशिष्ट–क–2(ख)** में लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक के लिए रू. 500/— प्रति यूनिट की दर से शुल्क के साथ सूचित करना होगा। उपरोक्त छह माह की पूर्वोक्त अवधि, आवेदन प्रस्तुत करने पर समुचित कारण सहित पारित आदेश द्वारा छह माह तक आगे बढाई जा सकती है। समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक इकाई का विशिष्ट पंजीकरण क्रमांक प्रदाय किया जाएगा। तथापि व्यक्तिगत भवन स्वामी, जो अपने आवासीय परिसर में लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक का उपयोग कर रहे हैं, को इससे छूट होगी।

(4) प्रत्येक भवन स्वामी लिफ्ट को उपयोग करने वाले व्यक्तियों के साथ लिफ्ट, एस्केलेटर अथवा मूविंग वॉक का बीमा मान्यता प्राप्त संस्था से करायेगा।

(5) प्रत्येक भवन स्वामी लिफ्ट इंजीनियर द्वारा स्थापना के पश्चात दिए गए रखरखाव के निर्देश का पालन करेगा।

(6) प्रत्येक भवन स्वामी लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक के संचालन के लिए निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन उत्तरदायी होगाः —

(क) भवन स्वामी द्वारा ऐसे लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो सुरक्षित स्थिति में नहीं है और इसके लिए भवन स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(ख) जब किसी बिल्डिंग में लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जा रहा हो तो भवन स्वामी इसे पूरी तरह से बिजली की आपूर्ति से डिस्कनेक्ट करने के बाद इसे सुरक्षित यांत्रिक स्थिति में हटा देगा या बनाए रखेगा; सभी दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया जाएगा, ताकि आकस्मिक प्रवेश को रोका जा सके और अनजाने उपयोग को भी रोका जा सके।

(ग) भवन स्वामी द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड में किए गए प्रावधानों के अनुसार संचालन और रखरखाव किया जाएगा।

(7) प्रत्येक भवन स्वामी लिफ्ट इंजीनियर से विधिवत हस्ताक्षरित एक छह मासिक आवधिक सुरक्षा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो नेशनल बिल्डिंग कोड के भाग–8 के अनुलग्नक–सी (क्लॉज–16.4) या अनुलग्नक–डी, (क्लॉज– 15.5.1) के निर्धारित अनुसार प्रकरण से संबंधित है और प्राधिकारी द्वारा **परिशिष्ट**–ज–3(क) में भवन स्वामी को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो लिफ्ट में दृष्टिगोचर स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा। तथापि व्यक्तिगत भवन स्वामी जो अपने आवासीय परिसर में लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें इससे छूट होगी।

(8) यदि भवन स्वामी उपरोक्त के अनुसार खण्ड (3) अथवा खण्ड (7) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, पहली बार अनुपालन न करने की स्थिति में, उसे अगले दो महीनों में प्रतिवेदन जमा करने की दिशा–निर्देश के साथ एक चेतावनी जारी की जाएगी। दूसरी बार अनुपालन न करने की स्थिति में, उसे एक कारण बताओ नोटिस, यह दर्शाते हुए कि क्यों न लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक के संचालन को रोक दिया जाए, जारी किया जाएगा। सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक को सील करने के बारे में निर्णय प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

(9) यदि कोई दुर्घटना होती है, तो 24 घंटे के अंदर दुर्घटना का पूर्ण विवरण भवन स्वामी संबंधित प्राधिकारी को देगा।

(10) प्रत्येक प्राधिकारी लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स अथवा मूविंग वॉक्स की भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सूची **परिशिष्ट**–ज–3 (ख) में दिए गए प्ररूप में संधारित करेगा।"

5. परिशिष्ट क–2 के बाद नया परिशिष्ट स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"परिशिष्ट क–2(क)

(नियम 83 (1))

लिफ्ट/एस्केलेटर/मूविंग की स्थापना से संबंधित प्रस्तुत विवरण के लिए प्ररूप

प्रति,

....

(संबंधित प्राधिकारी का नाम और पता)

....

मैं .... एतद्द्वारा यह सूचित करता हूँ कि प्रस्तावित भवन भू–खण्ड क्रमांक.......................पता...भूखंड क्षेत्रफल.. में लिफ्ट/एस्केलेटर/मूविंग वॉक स्थापित करना चाहता हूँ, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

स.क्र.	विशेष	संख्या	माप	व्यक्ति में क्षमता
1.	लिफ्ट			
2.	एस्केलेटर			
3.	मूविंग वॉक			

मैं नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के भाग–8 के प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 83 का पालन करूँगा।

लिफ्ट इंजीनियर का हस्ताक्षर ....

लिफ्ट इंजीनियर/निर्माता का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

लिफ्ट इंजीनियर/समूह का पंजीकरण नं ....

आवेदक अथवा भवन स्वामी का हस्ताक्षर ....

आवेदक अथवा भवन स्वामी का नाम एवं पता ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

दिनांक.............................

परिशिष्ट क–2(ख)

(नियम 83 (3))

लिफ्ट/एस्केलेटर/मूविंग की स्थापना से संबंधित प्रस्तुत विवरण के लिए प्ररूप

प्रति,

....

(संबंधित प्राधिकारी का नाम और पता)

....

मैं/हम .... एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि भवन/ भू–खण्ड क्रमांक .... पता ....भवन अनुज्ञा क्रमांक .... में स्थापित लिफ्ट/एस्केलेटर/मूविंग वॉक का पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया गया है, और यह निर्माण कार्य कोड के भाग–VIII की धारा–5 के प्रावधानों का अनुपालन करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि लिफ्ट/एस्केलेटर/मूविंग वॉक के सभी प्रणाली का परीक्षण कर लिया गया है, जो भारतीय मानक ब्यूरो स्टेण्डर्ड के अनुसार है।

विवरण निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	विशिष्टियां	स्थान	माप	क्षमता व्यक्तियों में
1.	लिफ्ट–1			
2.	लिफ्ट–2			
3.	लिफ्ट–3			
4.	एस्केलेटर –1			
5.	एस्केलेटर –2			
6.	मूविंग वॉक –1			
7.	मूविंग वॉक –2			

(आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जावे।)

लिफ्ट इंजीनियर का हस्ताक्षर ....

लिफ्ट इंजीनियर/निर्माता का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

लिफ्ट इंजीनियर/समूह का पंजीकरण क्रमांक ....

आवेदक अथवा भवन स्वामी का हस्ताक्षर ....

आवेदक अथवा भवन स्वामी का नाम एवं पता ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

दिनांक...............................

6. परिशिष्ट–ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"परिशिष्ट 'ख'

[नियम 16 (9) देखिए]

पर्यवेक्षण के लिये प्ररूप

मैं, एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भवन क्रमांक.......................... या भू–खण्ड क्रमांक................ ....कॉलोनी/मार्ग क्रमांक.............................. मोहल्ला/बाजार/सड़क.................................... शहर... .... पर स्थित.............................. में, का विकास कार्य निर्माण, पुनर्निर्माण या भौतिक परिवर्तन का कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया जाएगा और मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि समस्त सामग्री (प्रकार तथा श्रेणी) और कार्य की कारीगरी सामान्य रूप से इसके साथ प्रस्तुत की गयी सामान्य तथा विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप होंगी और कार्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

1. वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर योजनाकार/लिफ्ट इंजीनियर के हस्ताक्षर : ....
2. वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर योजनाकार/लिफ्ट इंजीनियर का नाम : ....
3. वास्तुविद् की दशा में परिषद् से उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक : ....
4. वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर योजनाकार/लिफ्ट इंजीनियर की अनुज्ञप्ति का क्रमांक : ....
5. वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर योजनाकार/लिफ्ट इंजीनियर का पता : ....
6. परिषद् से अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रीकरण की वैधता की तारीख : ....

तारीख........................."

7. परिशिष्ट–ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"परिशिष्ट 'ग'

(नियम 26 देखिये)

(अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी का नाम तथा पता)

संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर योजनाकार/लिफ्ट इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012

के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु प्रारूप

अनुज्ञप्ति क्रमांक........................ दिनांक................................

यह अनुज्ञप्ति श्री/श्रीमती/कुमारी...(नाम तथा पता)................................. .... को .... की (अधिकारिता के भीतर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी का नाम) (संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर योजनाकार/**लिफ्ट इंजीनियर** के कर्तव्यों का पालन करने के लिए जैसा कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 अधिकथित है, मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक........../.........../............. को समाप्त होगी। अनुज्ञप्तिधारी ने रसीद क्रमांक.................. पुस्तक क्रमांक.............................दिनांक.................................. के अनुसार .... रूपये की फीस का भुगतान किया है।

यह अनुज्ञप्ति नीचे दी गयी शर्तों के अध्यधीन होगी।

स्थान...............................

प्राधिकारी की मोहर

अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले प्राधिकृत

अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय है।
2. अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यालय में किसी सहजगोचर स्थान पर इस अनुज्ञप्ति की मूल प्रति प्रदर्शित करेगा और सभी युक्तियुक्त समयों पर .... के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा (अधिकारिता रखने वाला अधिकारी) उसके अध्यधीन निरीक्षण किया जा सकेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख के पूर्व उसका नवीकरण कराएगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधों का पालन करेगा और इस अनुज्ञप्ति के निबंधन के अंतर्गत कार्य करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी की सक्षमता नीचे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

6. **समूह या अभिकरण** : जब कोई अभिकरण या कोई अर्हता प्राप्त वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर या नगर योजनाकार या **लिफ्ट इंजीनियर** का समूह कार्य कर रहा हो, तब कार्य की अर्हता और सक्षमता उस समूह या अभिकरण में व्यक्ति विशेष की उच्चतम सक्षमता के समतुल्य होगी।

7. अनुज्ञप्तिधारी रेखांक तैयार करने तथा उनके द्वारा किए गए पर्यवेक्षण कार्य संबंधी सभी सुसंगत अभिलेख रखेगा। इस अभिलेख का निरीक्षण अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी तैयार किये गये प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम और अनुज्ञाप्ति क्रमांक लिखेगा और अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

9. यह अनुज्ञप्ति मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगी और इन शर्तों में से किसी शर्त के भंग होने पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध की जाने वाली अन्य कोई विधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अनुज्ञप्ति रद्द हो जाएगी।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु
प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पदनाम

8. निम्नलिखित नवीन परिशिष्ट–ङ–3 (क) अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"परिशिष्ट ङ–3 (क)

(नियम 83 (6) देखिए)

लिफ्ट/एस्केलेटर/मूविंग वॉक कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र सूचना

प्रति,

....

संबंधित स्थानीय प्राधिकारी

....

महोदय,

मैं एतद्द्वारा, यह प्रमाणित करता हूँ कि भवन क्रमांक .... या भू–खण्ड क्रमांक .... कॉलोनी/मार्ग .... मोहल्ला/बाजार/सड़क .... में स्थापित लिफ्ट/एस्केलेटर/मूविंग वॉक का पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा मंजूरी रेखांक क्रमांक .... दिनांक .... के अनुसार पूर्ण किया गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि लिफ्ट/एस्केलेटर/मूविंग वॉक की सभी प्रणाली का परीक्षण किया गया है और यह भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप है।

विवरण निम्नानुसार है:–

स.क्र.	विशेष	स्थान	माप	क्षमता व्यक्तियों में
1.	लिफ्ट–1			
2.	लिफ्ट–2			
3.	लिफ्ट–3			
4.	एस्केलेटर –1			
5.	एस्केलेटर –2			
6.	मूविंग वॉक –1			
7.	मूविंग वॉक –2			

(आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जावे।)

मैं निवेदन करता हूँ कि स्वामी को नियम 83 के अनुसार संचालन एवं रख–रखाव की अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

लिफ्ट इंजीनियर के हस्ताक्षर ....

लिफ्ट इंजीनियर का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

लिफ्ट इंजीनियर की अनुज्ञप्ति का क्रमांक ....

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर ....

आवेदक अथवा स्वामी का नाम एवं पता ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

दिनांक................................"

10. परिशिष्ट ज–3 के पश्चात्, निम्नलिखित परिशिष्ट अंतःस्थापित किए जाए, अर्थात्:–

"परिशिष्ट ज–3 (क)

(नियम 83 (10))

लिफ्ट, एस्केलेटर अथवा मूविंग वॉक के सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि लिफ्ट इंजीनियर..(लायसेंस क्रमांक..... ....द्वारा विधिवत प्रमाणित कर इस लिफ्ट/एस्केलेटर/मूविंग वॉक (विशिष्ट पंजीकरण क्रमांक...... ....) की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट प्राधिकारी को दिनांक ....को प्रस्तुत की गई है। सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अगली दिनांक.......................है।

प्राधिकृत के हस्ताक्षर एवं पदनाम

परिशिष्ट ज–3(ख)

(नियम 83 (10))

लिफ्ट, एस्केलेटर अथवा मूविंग वॉक की सूची

भवन स्वामी का नाम ....

भवन का पता ....

भवन अनुज्ञा क्रमांक ....

स.क्र.	विशेष	स्थान	माप	क्षमता व्यक्तियों में	विशिष्ट पंजीयन क्रमांक
1.	लिफ्ट–1				
2.	लिफ्ट–2				
3.	लिफ्ट–3				
4.	एस्केलेटर –1				
5.	एस्केलेटर –2				
6.	मूविंग वॉक –1				
7.	मूविंग वॉक –2				

(आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जावे।)

लिफ्ट, एस्केलेटर अथवा मूविंग वॉक की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट का विवरण :–..................................
....
....
....
....
...."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2020

क्र. एफ-3-49-2020-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-03-49-2020-अठारह-5, दिनांक 7 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 7th September 2020

NOTICE

F. No. 3-49-2020-XVIII-5.—The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 87 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any persons, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government:—

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 2, for sub-clause (40), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(40) **“Licensed Architect / Structural Engineer / Engineer / Supervisor /Town Planner/ Fire Engineer/Lift Engineer/Group”** means, respectively, any qualified Architect / Structural Engineer / Engineer / Supervisor /Town Planner / Fire Engineer/ Lift Engineer/Group, who, where necessary, has been licensed as such by the Authority.”

2. In rule 16,

(1) In sub-rule (8), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) Specifications both general and detailed, giving type and grade of materials being used, duly signed by the licensed Architect, Structural Engineer, Engineer, Supervisor, Town Planner, Fire Engineer or Lift Engineer, as the case may be, shall accompany the application.”.

(2) For sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(9) **Supervision**-The application shall be further accompanied by a certificate in form given in **Appendix-B** by the licensed Architect, Structural Engineer, Engineer, Supervisor, Town Planner, Fire Engineer or Lift Engineer, as the case may be, undertaking the supervision."

3. In Rule 26,

(1) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1) The Authority may issue licenses in form given in **Appendix-C** to Structural Engineers, Engineers, Supervisors, Town Planners, Fire Engineers and Lift Engineers, who possess the minimum qualifications as laid down in the sub-rule (2)."

(2) In sub-rule (2), clause No. 6, the following clause shall be inserted, namely:-

Designation	Minimum Qualification
(1)	(2)
"7. Lift Engineer	Graduate in Electrical/Mechanical Engineering from a recognized Indian or Foreign university with five years of experience, related to installation, erection, testing or audit of lift, escalator and moving walk.

(3) In sub-rule (9), after clause (F), the following clause shall be inserted, namely:-

"(G) **Lift Engineer-Competence.**-The Lift Engineer shall be competent to carry out all works related to installation, erection, testing, safety and audit of lift, escalator and moving walk of all types of buildings, which are covered under Section 5 of National Building Code Part-VIII.

(H) **Group or Agency**- When an agency or group of qualified Architects, Structural Engineers, Engineers, Town Planners, Fire Engineers, **Lift Engineers** is practicing, then the qualification and competence of work shall be equivalent to the highest competency of individual in the group or agency. The

manufacturers of lifts, escalators or moving walks may also be issued license in this category. ".

4. For Rule 83, the following rule shall be substituted, namely:-

"83""Provision of Lifts, Escalators or Moving Walks:-Provision for lifts shall be made for building more than 12.5 meters in height. Planning, design, installation, operation, maintenance and inspection of Lift, Escalator or Moving Walk to be installed in a building shall be in accordance with the provisions given in Section 5 of Part-VIII : of National Building Code (NBC). Following provisions shall apply to every owner of building:-

(1) Every owner shall furnish details related to installation of lift, escalator or moving walk along with building permission application in Appendix A-2(A) to the concerned authority.

(2) Work completion report of erection of lift, escalator or moving walk shall be submitted by the owner in Appendix E-3 (A) at the time of obtaining completion certificate in rule 102. The Authority shall issue a unique registration number to each unit.

(3) Every owner of a place in which a lift, escalator or moving walk has been installed before the commencement of this provision in the rule, shall, within six months from such commencement date inform the concerned Authority in **Appendix** A-2 (B) along with a fee of Rupees 500 per unit of lift, escalator or moving walk. The aforesaid period of six months may by order and for reasons to be recorded be further extended by six months on an application being made. The Authority shall issue a unique registration number to each unit. However, the individual owner who is using lift, escalator or moving walk in his own residential premise shall be exempted from it.

(4) Every owner shall get the lift, escalator or moving walk insured from recognized agency, along with the insurance of persons using them.

(5) Every owner shall follow the instruction of maintenance provided by the Lift Engineer after installation.

(6) Every owner shall be responsible for operation of lift, escalator or moving walk subject to the following terms and conditions:-

(a) The owner shall not use the lift, escalator or moving walk, which is not in a safe condition and he shall be solely responsible for it.

(b) When a lift erected at any place ceased to be used as such, the owner shall either remove it or maintain it in safe mechanical condition after disconnecting it entirely from the electric supply; all gates and doors shall be securely locked, so as to prevent the accidental entry to lift well and to prevent inadvertent use.

(c) The operation and maintenance shall be done as per provisions made in NBC by owner.

(7) Every owner shall submit a six monthly periodical safety and audit report duly signed by the Lift Engineer as prescribed in Annex C (Clause 16.4), Annex D (Clause 15.5.1) as the case may be, of NBC Volume VIII to the concerned Authority and the authority shall issue a certificate in appendix- H 3(A) to the owner which shall be displayed in the lift, escalator or moving walk at a visible location. However, the individual owner who is using lift, escalator or moving walk in his own residential premise shall be exempted from it.

(8) If the owner fails to comply with the provisions of clause (3) or clause (7) as mentioned above: in case of non-compliance for the first time, a warning will be issued to him with the direction to submit the same in the next two months. In case of non-compliance for the second time, a show cause notice stating as to why the operation of lift, escalator or moving walk should not be stopped, shall be issued to him. After giving a reasonable opportunity of being heard, a decision regarding sealing operation of lift, escalator or moving walk may be taken by the Authority.

(9) If any accident occurs, the owner shall give full details of accident within 24 hours to the concerned Authority.

(10) Every Authority shall maintain the inventory of the lifts, escalators or moving walks in physical and electronic format as given in **Appendix – H 3(B).".**

5. After Appendix A-2, a new Appendix –A-2(A) shall be inserted, namely:-

"APPENDIX-A-2(A)
[Rule 83(1)]

FORM FOR FURNISHING DETAILS RELATED TO INSTALLATION OF LIFT, ESCALATOR OR MOVING WALK

To,

....
(Name and Address of the Concerned Authority)

I.................here by inform that in the proposed building on plot number................., address......................... plot area.............. I plan to install lift/escalator/moving walk as per the following details:

S.no	Particular	Number	Size	Capacity in Person
1.	Lift			
2.	Escalator			
3.	Moving Walk			

I shall adhere to the provisions of NBC part VIII and rule 83 of Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012.

Signature of Lift Engineer

....

Name of Lift Engineer/Manufacturer

....

(in block letters)

Registration No. of Lift Engineer/Group

....

Signature of the Applicant or owner

....

Name and Address of Applicant or owner

....

(in block letters)

Date......................

6. After Appendix A-2, a new Appendix –A-2(B) shall be inserted, namely:-

"APPENDIX-A-2(B)
[Rule 83(3)]

FORM FOR FURNISHING DETAILS RELATED TO INSTALLED LIFT, ESCALATOR OR MOVING WALK

To,

....

(Name and Address of the Concerned Authority)

I hereby certify that the erected lift/escalator/moving walk in Building No. .... or the .... on/in Plot No. .... in Colony/Street .... Mohalla/Bazar/Road .... Building permission number .... has been supervised by me and it's erection work complies with the provisions of Part-VIII Section 5 of code. It is also certified that all system of lift/escalator/moving walk have been tested and it is as per Bureau of Indian Standards, which are given in Part-VIII Section 5 of code. The details are given below :-

Particular	Location	Size	Capacity in Person
Lift-1			
Lift-2			
Lift-3			
Escalator-1			
Escalator-2			
Moving Walk-1			
Moving Walk-2			

(Add rows if needed)

Signature of Lift Engineer

....

Name of Lift Engineer/Manufacturer

....

(in block letters)

Registration No. of Lift Engineer/Group

....

Signature of the Applicant or owner/Authorized Signatory

....

Name and Address of Applicant or owner

....

(in block letters)

Date......................

7. For Appendix –B, the following Appendix shall be substituted, namely :-

APPENDIX-B
[Rule 16(9)]

FORM FOR SUPERVISION

I hereby certify that the development, erection, re-erection or material alteration in/of Building No.......... or the .... on/in Plot No. .... in Colony/Street ....mohalla/bazar/road .... City................ shall be carried out under my supervision and I certify that all the materials (type and grade) and the workmanship of the work shall be generally in accordance with the general and detailed specifications submitted along with, and that the work shall be carried out according to the sanctioned plans.

1. Signature of Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervisor/Town Planner/Fire Engineer/Lift Engineer : ....

2. Name of Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervisor/Town Planner/Fire Engineer/Lift Engineer/Group : ....

3. In case of Architect, his Registration No. with the Council : ....

4. License No. of Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervisor/Town Planner/Fire Engineer/Lift Engineer/Group : ....

5. Address of Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervisor/Town Planner/Fire Engineer/Lift Engineer/Group : ....

6. Date of validity of license/Registration with Council : ....

Date ....

8. For Appendix –C, the following Appendix shall be substituted, namely :-

"APPENDIX-C
(See rule 26)
(Name and Address of the Local Authority having jurisdiction)

FORM FOR ISSUING LICENSE UNDER MADHYA PRADESH BHUMI VIKAS RULES, 2012 TO WORK AS STRUCTURAL ENGINEER/ENGINEER/SUPERVISOR/TOWN PLANNER/FIRE ENGINEER/ LIFT ENGINEER

License No. ....
Date...................

This license is granted to Shri/Smt./Ku. .... (Name and address) .... to perform the duties of Structural Engineer/Engineer/Supervisor/Town Planner/Fire Engineer/Lift Engineer/Group as laid down in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 within the jurisdiction of the .... (Name of the Authority having jurisdiction).

This license will expire on ..../........../............. The licensee has paid the fee Rs. .... vide Receipt No. .... Book No. .... Date ....

The license is subject to the conditions set forth hereunder.

Place Seal of Authority

Date Signature and Designation

of the Authorized officer to grant license

CONDITIONS

1. The license is non-transferable.
2. The licensee shall display the original copy of this license on a conspicuous place in his/their office and it shall be subject to inspection by the authorized officers of .... (Authority having jurisdiction) at all reasonable times.
3. The licensee shall get this license renewed prior to the date of its expiry.

4. The licensee shall abide by the provisions of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 and work strictly within the terms of this license.

5. The competence of the licensee shall be determined by the provisions of Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012.

6. **Group or Agency:** When an agency or a group of qualified Architects or Structural Engineers or Engineers or Town Planners or Fire Engineers or Lift Engineersis practicing then the qualification and competence of work shall be equivalent to the highest competency of individual in the group or agency.

7. The licensee shall keep all relevant records for the preparation of plans and of supervision work done by him. This record shall be subject to inspection by the authorized officer of the Authority having jurisdiction.

8. The licensee shall put up his signature, name and license number on each document prepared and submitted to the Authority having jurisdiction.

9. This license is subject to the conditions mentioned in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 and any breach of any of these conditions will entail cancellation of the license without prejudice to any other legal action against the licensee under any law for the time being in force.

Signature and Designation
of the Authorized Officer
to grant license.".

9. **The following Appendix E-3 (A) shall be inserted, namely :-**

"Appendix-E-3(A)

{See rule 83(6)}

NOTICE FOR COMPLETION WORK OF LIFT/ESCALATOR/MOVING WALK

To

The ____________________

Concerned Local Authority

____

Sir,

I hereby certify that the erected lift/escalator/moving walk in Building No. .... or the .... on/in Plot No. .... in Colony/Street .... Mohalla/Bazar/Road .... has been supervised by me and has been completed on .... according to the plans sanctioned vide No................. dated .... and it's erection work complies with the provisions of Part-VIII Section 5 of code. It is also certified that all system of lift/escalator/moving walk have been tested and it is as per Bureau of Indian Standards, which are given in Part-VIII Section 5 of code. The details are given below :-

Particular	Location	Size	Capacity in Person
Lift-1			
Lift-2			
Lift-3			
Escalator-1			
Escalator-2			
Moving Walk-1			
Moving Walk-2			

(Add rows if needed)

I request that the Completion Certificate may be issued to the owner for further compliance of operation and maintenance as per rule 83.

Signature of Lift Engineer

....

Name of Lift Engineer/Manufacturer

....

(in block letters)

Registration No. of Lift Engineer/Group

....

Signature of the Applicant or owner

....

Name and Address of Applicant or owner

....

(in block letters)

Date...................... .".

10. After Appendix H-3, a new Appendix –H-3(A) shall be inserted, namely:-

"APPENDIX-H-3(A)

[Rule 83(10)]

CERTIFICATE FOR SUBMISSION OF LIFT, ESCALATOR OR MOVING WALK SAFETY AUDIT REPORT

This is to certify that the safety audit report of this lift/ Escalator/ moving walk (Registration number...) duly certified by lift Engineer... (license Number...) has been submitted in the authority on .... The next date of submission of safety audit report is due on ....

Signature and Designation
of the Authorized Officer .".

11. After Appendix H-3 (A), a new Appendix –H-3(B) shall be inserted, namely:-

"APPENDIX-H-3(B)
[Rule 83(10)]

INVENTORY OF THE LIFTS, ESCALATORS OR MOVING WALKS

Name of the owner ....
Address of the building ....
Building permission number ....

Particular	Location	Size	Capacity in Person	Unique Registration Number
Lift-1				
Lift-2				
Lift-3				
Escalator-1				
Escalator-2				
Moving Walk-1				
Moving Walk-2				

(Add rows if needed)

Details of submission of lift, escalator or moving walk safety audit report :-
....
....
....
....
....
.... ".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.